

Form No. III

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा जिला खैरथल-तिजारा (राज0)

फर्द अहकाम
(नियम 26)

खुराद बनाम सहजू वगै0

हुकम का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज
वाद - धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
वाद पत्र संख्या 08 वर्ष 2024

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तारीख में जारी हुए

आज यह पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित है को सुना
गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी वास्ते तलबी प्रतिवादीगण
को रजिस्टर्ड ए0डी0 के कोर्ट नोटिस तलबाने पेश करें। पत्रावली 15-04-2024 को
पेश हो।

15/4/24

आज पत्रावली पेश हुई।
पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार वास्ते
में दिनांक 14/6/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल-तिजारा)

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

14/6/24

आज पत्रावली पेश हुई।
पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार वास्ते
में दिनांक 06/8/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

06/8/24

आज पत्रावली पेश हुई।
पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार वास्ते
में दिनांक 05/11/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

05/11/24

आज पत्रावली पेश हुई।
पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार वास्ते
में दिनांक 3/11/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

01/12/24

आज पत्रावली पेश हुई। आवाजें लगाई गई।
घर-घर आवाज लगाने पर वादी/वादी अधिवक्ता
अनुपस्थित। अतः वाद अदम हाजरी/अदम पैस्वी
में लाइज किया जाकर, पत्रावली बाद निर्णय
सकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा
जिला खैरथल-तिजारा (राज0)

5/11/24